भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4287
13.12.2019 को उत्तर के लिए

सामान्य संपत्ति-संसाधनों पर नीति

4287. डॉ. आर.के. रंजन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामान्य संपत्ति-संसाधनों जैसे झीलों, जल निकायों, चारागाह भूमि, सामान्य वनभूमि और शहरी वनों की सुरक्षा के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इन सामान्य संपत्ति-संसाधनों के संबंध में प्रभावी राष्ट्रीय नीति अपनाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ) पशुओं का कल्याण और प्रदूषण का निवारण एवं उपशमन सुनिश्चित करते हुए झीलों और नदियों, जैव-विविधता, वन और वन्यजीव सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन इस मंत्रालय के प्राथमिक सरोकार हैं। इन नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय, इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अनेक विधायी और विनियामक उपाय किए गए हैं जिनका उद्देश्य पर्यावरण का परिरक्षण, संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना है। विधायी उपायों के अलावा, राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण एवं विकास संबंधी नीतिगत विवरण, 1992; राष्ट्रीय वन नीति, 1988; प्रदूषण उपशमन संबंधी नीतिगत विवरण, 1992 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 द्वारा भी मंत्रालय के कार्य में मार्गदर्शन किया जाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार और संबधित राज्य सरकारों के बीच लागत की साझेदारी के आधार पर देश में झीलों सहित नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय जलीय पारि-तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) नामक एक केन्द्र- प्रायोजित योजना कार्यान्वित करके झीलों, जल निकायों, चरागाहों, सामान्य वन भूमि और शहरी वन जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत और बहु-विषयक दृष्टिकोण तथा साझा विनियामक कार्य ढांचे के माध्यम से जैव-विविधता और पारि-तंत्र में सुधार के अलावा, जल की गुणवत्ता में वांछित वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु झीलों सहित नमभूमियों को संपूर्ण रूप से संरक्षित करना और उसकी बहाली करना है।

मंत्रालय द्वारा वनीकरण, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के माध्यम से अवक्रमित वन तथा निकटवर्ती भूमि की पारिस्थितिकी बहाली के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसे राष्ट्रीय

वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी) द्वारा भागीदारी के दृष्टिकोण से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में चरागाह विकास/ वन चरागाह मॉडल सहित साथ वनीकरण घटक है। साथ ही, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत रेखांकित आठ मिशनों में से एक मिशन है। इसका उद्देश्य वनों में और वनेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यकलापों के माध्यम से भारत के वनावरण की सुरक्षा करना, उसकी बहाली करना और उसमें वृद्धि करना तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना है।

इसके अलावा, पारंपरिक एवं अन्य जल निकायों/तालाबों का जीर्णोद्धार जल-शक्ति अभियान के कार्यकलापों में से एक है। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता में वृद्धि, पेयजल संसाधन की सतत उपलब्धता, मिट्टी की आर्द्रता में वृद्धि आदि है। उन जल निकायों के लिए, जो 10 वर्षों से अधिक समय से विद्यमान है और जिन्होंने समुदाय की पेयजल एवं अन्य प्रयोजनों को पूरा किया है, की सूची तैयार करने, उन्हें बहाल करने और उनके जीर्णोद्धार करने के प्रयास किए गए हैं।

****